

**अनुमन्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार**

समक्ष- सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.- 205 / 12 सी.आई.एस.क्र.- 205 / 12

योगी दास अन्य बनाम बासुदेव दास

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
30/04/25	<p>वादी एवं प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। यह वाद प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.08.24 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि प्रतिवादी की ओर से खाता संख्या 1413 के खतियान का तेरीज की प्रमाणित प्रति तथा भूमि सुधार उपसमाहर्ता के आदेश की प्रमाणित प्रति तथा रामनगर फरसाही के सरपंच द्वारा निर्गत बंसावली प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः निवेदन है कि उक्त दस्तावेज को प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाए।</p> <p>उक्त आवेदन का प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर वादी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया है कि उक्त दस्तावेज लोक दस्तावेज नहीं है जिस कारण से प्रतिवादी का उक्त आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।</p> <p>उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी की ओर से पूर्व में दिनांक 11.02.16 एवं 19.03.16 को उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जो पदिये हैसियत के निर्वहन में निर्गत किया गया है। जिस कारण से उक्त दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है। अतः प्रतिवादी के उक्त आवेदन को न्यायहित में ग्रहण कर उक्त दस्तावेज को क्रमशः प्रदर्श ए, बी एवं सी अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>वाद आगामी दिनांक 21.05.25 प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत।</p> <p style="text-align: center;">हस्ताक्षर</p> <p style="text-align: center;">अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ</p>	